प्रेस नोट थाना कटरा

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक – 16.05.2026

थाना कटरा पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से की गई फायरिंग के मुकदमे में वांछित नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा .315 बोर व खोखा कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा वांछित अपराधियों/वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री - निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.05.2026 को वादी श्री वेदराम पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने भाई रमेश को पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से गोली मारने के संबंध में थाना कटरा पर मु0अ0सं0 137/2026 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा तलाश/दबिश की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा लाल पम्प के सामने शेरपुर मोड़ के पास घेराबंदी कर समय करीब 10:55 बजे अभियुक्त **सूबेदार पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम धनकपुर थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 39 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त असलहा झाड़ियों में छिपाना बताया गया, जिस पर अभियुक्त की निशानदेही पर शेरपुर-सुल्तानपुर-धनेला तिराहे के पास झाड़ियों से **एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर तथा एक खोखा कारतूस .315 बोर** बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में आवश्यक धाराओं की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई। अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सूबेदार पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम धनकपुर थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 39 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान-

दिनांक 16.05.2026 समय 10.55 बजे लाल पम्प के सामने शेरपुर मोड के पास थाना क्षेत्र कटरा, शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद नाजायज तंमचा 315 बोर मय नाल में फसा एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी रामबेटी का विवाह पूर्व में रमेश पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर के साथ तय हुआ था, किन्हीं कारणोंवश उक्त विवाह संपन्न नहीं हो सका। अभियुक्त के अनुसार इसी बात को लेकर रमेश उसकी पत्नी को लगातार परेशान करता था, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी के भाई फूलबाबू पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम रमापुर दक्षिणी, थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर को थी। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त बात से नाराज होकर वह तथा उसका साला फूलबाबू एक साथ बाजार की ओर गए। अभियुक्त के पास पूर्व से एक अवैध तमंचा मौजूद था। रास्ते में शेरपुर-सुल्तानपुर मोड़ के पास सामने रमेश दिखाई देने पर अभियुक्त ने पीछे से तमंचे से फायर कर रमेश को गोली मार दी तथा घटना कारित करने के उपरांत दोनों व्यक्ति मौके से भाग गए। भागते समय अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त तमंचे को रास्ते में झाड़ियों में छिपा दिया गया था, जिसे अभियुक्त द्वारा बाद में अपनी निशानदेही पर पुलिस टीम को बरामद कराया गया है। अभियुक्त का उक्त बयान नियमानुसार तस्करा पूछताछ में अंकित किया गया। विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0229/014 धारा 147/148,/148/302/ 302/307/307/394/394 आपीसी थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 066/2026 धारा 87 बीएनएस थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 0137/2026 धारा 109(1) BNS व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. निरीक्षक अपराध श्री प्रेमवीर सिंह थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर,
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 1901 आशीष कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 2030 सद्दाम थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 2258 राहुल कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।